

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/166/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/ दिनांक :-

आदेश

श्री भंवर लाल, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बावडी, जोधपुर (जिनकी सर्विसबुक अनुसार जन्म तिथि 10.07.1964 है), को राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से दिनांक 31.07.2024 को सेवानिवृत्ति किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री भंवर लाल, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बावडी, जोधपुर के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/166/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/126
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 23/5/2024

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर शहर के पत्र क्रमांक 613-17 दिनांक 12.03.2024 के क्रम में।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बावडी, जोधपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

RajKaj Ref
7301754

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 05:50:43